



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद
(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

“सार्वजनिक सूचना”

एतद्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की इन्दिरापुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम-कनावनी में प्राधिकरण के स्वामित्व की 24.69 एकड़ भूमि पर पार्ट ले-आउट प्लान फेज-1 की स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम स्तर / उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शासनादेश संख्या 4165 / आठ-1-05-29 विविध / 98, दिनांक 07.07.2006 के क्रम में अनुमोदित किया गया है। उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अन्तिम अनुमोदन से पूर्व जनसामान्य से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पार्ट ले-आउट प्लान फेज-1 एवं योजना पर सजरा सुपरइम्पोज का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में प्राधिकरण के “स्वागत कक्ष” एवं “मुख्य नगर नियोजक कार्यालय” में किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव सुझाव देना चाहें तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव “स्वागत कक्ष” एवं “मुख्य नगर नियोजक कार्यालय” में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

सचिव

ई.मेल : helplinegda@gmail.com,  : @ Gda Ghaziabad  : @ gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प